West Central Railway Employees' Union

Head Office : Infront of Neelambari Railway Officer's Rest House, Jabalpur, (Regd. Office : Station Road, Kota-2)
Registered Recognised & Affiliated to AIRF & HMS (Registration No. KT/ARTU/1/2003)

वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे एम्पलॉईज़ यूनियन

मुख्यालय : नीलाम्बरी रेल्वे अधिकारी विश्राम गृह के सामने, जबलपुर (रजि. ऑफिस : स्टेशन रोड़ , कोटा–2)
Rly.: (O) 53751, 53752, **Fax :** 53754, **P&T :** (O) 0761-2621197, 0744-2467116
Email : mkgalav@sify.com, mukeshgalav@gmail.com
web : www.wcreu.com

HUSSAIN BUX
President

MUKESH GALAV
General Secretary

Ref. .... Dated ....

WCREU/HQ/JBP/PNM/109 **04.02.2014**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
पश्चिम मध्य रेलवे,
जबलपुर

विषय :- मुख्यालय स्तर पर होने वाली स्थायी वार्ता तन्त्र बैठक में चर्चा एवं निराकरण हेतु एजेण्डा।

****

महोदय,

वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन के साथ मुख्यालय स्तर पर होने वाली आगामी स्थायी वार्ता तन्त्र बैठक में चर्चा एवं निराकरण हेतु संलग्न एजेंडा प्रेषित है।

धन्यवाद ।

भवदीय,

(मुकेश गालव)
महामंत्री

संलग्न :-यथोक्त

www.wcreu.com

EU-01/2014

(i) श्री सुधांशु पुत्र श्री सतीश चन्द गुप्ता, भूतपूर्व एसएसई (ड्राइंग) अधीन वरि.म.इंजी.(सम) कोटा को अनुकप्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बंध में।

उपरोक्त विष्य में लेख है कि श्री सतीश चन्द गुप्ता -घासीलाल गुप्ता, भूतपूर्व एसएसई (ड्रांइग) अधीन वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (सम) कोटा में कार्यरत थे जिनको मुख्य चिकित्सा निदेशक प.म.रे. के दिनांक 26.11.2011. के पत्र द्वारा भारतीय रेलवे की समस्त कोटियों में अयोग्य होने की अनुशंसा के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कोटा के पत्र संख्या एमडी/164/2/2 बोर्ड (एसजी) दिनांक 22. 11.2012. के द्वारा समस्त कोटियों मे अयोग्य घोषित किया गया है। अयोग्य घोषित होने के फलस्वरूप कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृति विकल्प के आधार पर तत्काल प्रभाव से स्वीकृत की गई।

श्री सतीश चन्द गुप्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् श्री सुधांशु गुप्ता को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। भूतपूर्व कर्मचारी की मेडीकल अनफिट होने के समय आयु 58 वर्ष से अधिक होने के कारण मुख्यालय के पत्र WCR/P-HQ/Rectt/122/Comp.Apptt./Policy दिनांक 17.02.2010 के अनुसार प्रकरण में स्वीकृति महाप्रबंधक महोदय द्वारा प्रदान किये जाने के निर्देश हैं।

अतः आपसे निवेदन है श्री सुधांशु गुप्ता पुत्र श्री सतीश चन्द गुप्ता को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान के प्रकरण को प्राथमिकता देते हुये कृपया शीध्र स्वीकृती कर यूनियन को अवगत कराने का श्रम करे।

WCREU /JBP/HQ/GS 02.12.13

(ii) मृतक कर्मचारी के वार्ड का अनुकमपा नियुक्ति देने बाबत - प्रकरण श्रीमति पार्वती बाई पत्नि स्व. श्री कृष्ण जगन्नाथ दफ्तरी मं.का. कोटा प.मरे. ग्राम पोस्ट - तालेड़ा जिला बूंदी राजस्थान पिन 323021.

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्रीमति पार्वती बाई पत्नि स्व. श्री कृष्ण जगन्नाथ दफ्तरी मं.का. कोटा प.मरे. ग्राम पोस्ट - तालेड़ा जिला बूंदी राजस्थान ने यूनियन के माध्यम से अनुरोध किया है कि प्रार्थिनी के पति मंडल कार्यलय कोटा के आडिट विभाग में दफ्तरी के पर पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यू दि. 25.12.2009 को हो चुकी है। निवेदन यह है कि उनके पुत्र श्री मुकेश रावल आयु 24 वर्ष को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन दिया था। जिसके एवज में प्रशासन ने पत्र सं. लेप/प्रशासन/जबल/पी.एफ.-एस.के. ज./2010-11 दि. 29.12.2010 के अनुसार अनुकम्पा नियुकित हेतु प्रतीक्षा सूची में रखा था। प्रार्थिनी के पत्र पं.दि.27.09.2012 के एवज में प्रशासन ने पत्र सं. पेप/प्रशा/जबल/अनुक. नियुक्ति/2012-2013/119/2904 दि. 25.10.2012 को जवाब दिया है कि अनुकम्पा रिक्ती नही होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नही दी जी सकती है।

प्रकरण 04 वर्ष पुराना हो चुका है। एवं 15.10.2012 को निकले हुए 03 वर्ष समाप्त हो चुके है। कृपया पुत्र श्री मुकेश रावल को अनुकम्पा नियुक्ति देने की अनुकम्पा करें।

यूनियन का अनुरोध है कि 03 वर्ष के अन्तराल में अनुकम्पा नियुक्ति की रिक्ती हो जानी चाहिए। स्व. श्री कृष्ण जगन्नाथ दफ्तरी का परिवार अभावा में जीवन बसर कर रहा है उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है, कृपया पूर्ण सहानूभूति पूर्वक विचार कर स्व. श्री कृष्ण जगन्नाथ दफ्तरी के पुत्र मुकेश रावल को अनुकम्पा नियुक्ति देते हुए कह गई कार्यावाही से यूनियन को सूचित करने का श्रम करें।

WCREU/KTT/GS/Audit/Comp App/2014/003 date 06-01-14

www.wcreu.com

EU-02/2014

(i) स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे स्थानांतरण के सम्बंध मे ।

उपरोक्त विषय मे जबलपुर मण्डल के डीजल शेड नई कटनी जंक्शन मे हेल्पर-II वेतनमान 5200-20200 + 1800 ग्रेड पे के पद पर कार्यरत श्री जितेन्द्र कुमार मौर्य बल्द श्री राजकुमार राम द्वारा अपने स्वयं के अनुरोध पर प्रोडक्शन यूनिट, डी.एल.डब्ल्यू. वाराणसी में अंतर रेलवे स्थानांतरण हेतु उचित माध्यम से आवेदन लगभग 08 माह पूर्व दिया था जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई है।

उपरोक्त कर्मचारी का परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम दूलमपट्टी, पोस्ट बगही जिला चन्दौली मे निवासरत है जिनकी देखभाल का उत्तरदायित्व कर्मचारी पर ही है। इनके स्थानांतरण होने पर उनके पूरे परिवार की सार्थक रूप से देखभाल हो सकेगी।

अतः कर्मचारी की पारिवारिक परेशानियों को देखते हुये उसके आवेदन पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुये मानवीय आधार पर अंतर रेलवे स्थानांतरण हेतु अतिशीघ्र कार्यवाही कर यूनियन को अवगत कराने का श्रम करे ।

WCREU/HQ/JBP/GS 23.12.13.

(ii) स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे/अंतर मण्डलीय स्थानांतरण पर कर्मचारियों को भारमुक्त करने के सम्बंध में।

संदर्भ :-महाप्रबंधक कार्यालय पत्र पमरे/का.मुख्या/222/7/ई.एम. दिनांक 25.04.

उपरोक्त विषय मे लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से राजेश मीणा, टेक्नी.III नकज जबलपुर मंडल के साथ अन्य 04 कर्मचारियों (संलग्न प्रतिलिपि की कापी) को भार मुक्त करने की स्वीकृत प्रदान कर दी गई है परन्तु अभी तक भी राजेश मीणा एवं संलग्न लिस्ट पर क्रं. 21, 23, 24 एवं 25 पर दर्शाये गये कर्मचारियों को अभी तक भार मुक्त नही किया गया है।

उपरोक्त सभी कर्मचारियों का परिवार कोटा मे निवासरत है इनके स्थानांतरण ना होने कारण परिवार कापी दुखी है एवं कर्मचारी अपने परिवार की देखभाल भी नही कर पा रहे हैं।

अतः समस्त कर्मचारियों की पारिवारिक परेशानियों को देखते हुये अतिशीघ्र भार मुक्त कर की गई कार्यवाही कर यूनियन को अवगत करायेे।

WCREU/HQ/JBP/GS 07.01.14.

(iii) स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे स्थानांतरण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि जबलपुर मण्डल के कैरिज वैगन विभाग नई कटनी जंक्शन में श्री कन्हैया प्रसाद, टेक्नी. ग्रेड-II टि.न. 566 दिनांक 09.06.2009 से कार्यरत है। कर्मचारी ने स्वयं के अनुरोध पर कैरिज वैगन कारखाना आलमबाग लखनऊ उत्तर रेलवे में स्थानांतरण हेतु लगभग डेढ-दो वर्ष पूर्व उचित माध्यम से आवेदन दिया था किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई जिस कारण कर्मचारी अत्यंत व्यथित है।

उपरोक्त कर्मचारी के परिवार मे उनकी वृद्ध 57 वर्षीय माता हृदय एवं थाईराइड रोग से लगभग 07-08 वर्षो से पीडित है तथा लखनऊ मे इलाजरत है। कर्मचारी के धर पर अन्य कोई जिम्मेदार सदस्य नही होने के कारण माता जी का न तो सुचारू रूप से इलाज हो पा रहा है और न ही देखभाल। कर्मचारी का स्थानांतरण ना होने कारण वह अत्यंत दुखी है एवं अपने परिवार की देखभाल भी नही कर पा रहा है।

अतः पीडित कर्मचारी की पारिवारिक परेशानियों को देखते हुये अतिशीघ्र स्थानांतरण करने की कृपा करें

WCREU/HQ/JBP/GS 13.01.14.

www.wcreu.com

(iv) अन्तर रेलवे स्वयं की इच्छा से स्थानान्तरण बाबत - प्रकरण श्री मनूचन्द टाक वेतन मान् 9300-34800+4200 ग्रेड पे जू.इन्जी (मेकेनिकल) अजमेर वर्कशाप एन.डब्ल्यू.आर. ।

संदर्भः- एस.पी.ओ./ई एव एम/महा प्रबंधक (पी) जयपुर के पत्र सं. 939ई/1/1/मेके./आई.आर.टी./मनू/जु.ईन्जी/559 दि. 27.11.2013.

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री मनूचन्द टाक वेतन मान् 9300-34800+4200 ग्रेड पे जू.इन्जी (मेकेनिकल) अजमेर वर्कशाप एन.डब्ल्यू.आर. महा प्रबंधक ने प्रार्थी के स्वयं की इच्छा से माल डब्बा मरम्मत कारखाना कोटा प.म.रे. स्थानान्तरण हेतु कोटा मंडल प.म.रे. से श्री मनूचन्द को लेने हेतु सहमति चाही है।

यूनियन का अनुरोध है कि कृपया श्री मनूचन्द टाक वेतन मान् 9300-34800+4200 ग्रेड पे जू.इन्जी (मेकेनिकल) अजमेर वर्कशाप एन.डब्ल्यू.आर. के पक्ष में सहमति एवं स्वीकृति से एन.डब्ल्यू.आर. को भेजते हुए यूनियल को सूचित करने का श्रम करें।

WCREU/JBP/GS/Mech/KTT/2013/115 18.12.2013

(v) स्वयं की इच्छा से अंतर मंडलीय स्थानान्तरण-प्रकरण श्री शिवचरण मीणा हेल्पर वे.मान् 5200-20200 +1800 ग्रेड पे LBR, CRWS, (सवारी डिब्बा पुननिर्माण कारखाना) Bhopal,WCR

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री शिवचरण मीणा हेल्पर LBR,CRWS, (सवारी डिब्बा पुननिर्माण कारखाना) Bhopal,WCR ने स्वयं की इच्छा से समान पद वेतन मान् में मुख्य कारखाना प्रबंधक कोटा प.म.रे. को स्थानान्तरण हेतु आवेदन दिया था जिसे 23.11.213 को वरि.सै.इन्जी (बाडी शॉप) CRWS, Bhopal,WCR ने अग्रेषित कर दिया है। कृपया प्रार्थना पत्र को आवश्यक कार्यवाही कर अनुमोदन एवं स्वीकृति प्रदान कर कोटा मंडल हेतु अग्रेषित करने की व्यवस्था करें।

यूनियन का अनुरोध है कि श्री शिवचरण मीणा हेल्पर LBR,CRWS, (सवारी डिब्बा पुननिर्माण कारखाना) Bhopal,WCR के आवेदन पत्र पर सम्पूर्ण कार्यवाही कर कोटा मंडल को भेजते हुए यूनियन को सूचित करने का श्रम करें।

WCREU/JBP /GS/WRS/BPL/KTT/2013/117 31.12.2013

EU-03/2014

जबलपुर मंडल के रेल आवासों की मरम्मत इत्यादि के लिए रेवेन्यू मद के तहत कम राशि आंवटित करने बाबत्।

जबलपुर मण्डल पर कार्यरत रेल कर्मचारियों से लगातार इस बावत शिकायत प्राप्त हो रही है कि उनके रेल आवासो की छोटी–छोटी मरम्मत जो कि रेवेन्यू या जोनल ठेके की राशियो से ही हो सकती है नही हो पा रही है इस वर्ष तो यह स्थिति बनी कि जितने रेल आवास पुताई के लिए डयू थे उनके एक तिहाई की भी पुताई नही हो पाई थी तथा रेवेन्यू के तहत कार्य भी स्वीकृत नहीं किये जा सके।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि मुख्यालय वित्त विभाग द्वारा मंडलो को **PU 32** (रेवेन्यू) की मद मे रेलवे बोर्ड द्वारा आंवटित राशि से भी कम राशि आंवटित की गई है जिस कारण जोनल ठेके मे पिछले वर्षो से भी कम राशि आंवटित की जा सकी है जिसके कारण से यह स्थिति निर्मित हुई है साथ ही साथ

www.wcreu.com

मंडल को रेवेन्यू **(PU 32)** के तहत आंवटित राशि का आवंटन कम किये से कार्य स्वीकृत नही किये जा सके है।

यह बात यूनियन की समझ से परे है कि किन कारणो एवम् परिस्थितियो मे मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि से भी कम राशि मंडलो को आवंटित की जिसके परिणाम स्वरूप रेल आवासो के अनुरक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हे।

अनुरोध है कि मण्डलों को रेवेन्यू मद के कार्य हेतु पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाये जिससे रेल आवासों की मरम्मत, पुताई इत्यादि का कार्य सम्पन्न हो सके तथा रेल कर्मचारी अपने आवासों में निश्चिंता पूर्वक रह सके।

WCREU/JBP/HQ/GS/01 03.01.2014

EU-04/2014

सीनि.डी.ई.ई.टीआरएस नकज द्वारा अनुशासन अपील नियमों की अवहेलना के किये जाने के विषय में।

विद्युत लोको शेड नकज में कार्यरत कर्मचारियों से सीनि.डीईई, टीआरएस नकज द्वारा अनुशासन अपील नियमों की अवहेलना के सम्बंध में ज्ञात हुआ है । उदाहरणार्थ एस.एस.ई. श्री ए.के. तिवारी द्वारा उक्त विषयक आपको सम्बोधित प्रतिवेदन दिया गया है ।

श्री ए.के.तिवारी एस.एस.ई विद्युत लोको शेड नकज के साथ सी.डी.ई.ई टी.आर.एस नकज द्वारा व्यक्तिगत विद्धेषवश अधीनस्थ कर्मचारी को प्रताड़ित किया गया है इस कारण कर्मचारी एवम् उसका परिवार मानसिक तनावग्रस्त है।

कर्मचारी को दिये गये दी गई मानक फार्म सं. 11 के माध्यम से सफाई व्यवस्था मे कमी सम्बन्धित आरोप पर दिये गये प्रतिवेदन पर तीन वेतन वृद्धि रोकने की गम्भीर शास्ति दी गई वो भी बगैर स्पीकिंग आर्डर के । कर्मचारी को प्रताडित किये जाने की तो हद हो गई जब कर्मचारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी (अ.म.रे.प्र. जबलपुर मण्डल) को की गई अपील को सी.डी.ई.ई. (टीआरएस) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी को ना भेजते हुए खुद ही उस पर निर्णय लेते हुए अपील खारिज कर दी । यह अनुशान अपील नियमों की घोर अवहेलना है । अतः तीन वेतनवृद्धि रोके जाने की शास्ति निरस्त योग्य है।

कर्मचारी को प्रताड़ना का अन्त यहीं नही हुआ, पुनः सी.डी.ई.ई. टीआरएस द्वारा कर्मचारी को बार–बार मोबाइल पर फोन करके परेशान करने का आरोप लगाते हुए मानक फार्म सं. 11 जारी की तथा बगैर स्पीकिंग आर्डर के अगले तीन सालो के सभी सुविधा पास बन्द कर दिये गये। इसी क्रम मे संतुष्ट ना होते हुए सी.डी.ई.ई. (टी.आर.एस) द्वारा अपने आदेश मे पुनः मानक फार्म सं. 11 देकर बगैर स्पीकिंग आर्डर के अगले तीन वर्षो के सभी पी.टी.ओ. सेट बन्द कर दिये है।

गौर तलब तथ्य है कि सी.डी.ई.ई. (टीआरएस) नकज द्वारा किसी भी शास्ति अधिरोपित किये जाने के ''स्पीकिंग आर्डर'' नहीं दिये जाये है जबकि डी.ए.आर. के प्रावधानो के अनुसार स्पीकिंग आर्डर दिया जाना आवश्यक है एवम् अपीलीय आधिकारी के अधिकार क्षेत्र मे अतिकमण कर, अपील पर स्वयं ही निर्णय लेना भी नियम के विरूद्ध है।

उपरोक्त प्रकार की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित कर्मचारी एवम् उसका परिवार लगातार तनावग्रस्त रहकर जीने को मजबूर है।

यूनियन की मॉग है कि कर्मचारी द्वारा दिये गये प्रतिवेदन व दस्तावेजो के सम्बन्ध मे उचित जॉच करवाकर न्यायसंगत कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है ।

WCREU/HQ/JBP/GS/01 03.01.2014

www.wcreu.com

EU-05/2014

स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे स्थानांतरण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि भोपाल मण्डल के गंजबासौदा स्टेशन में श्री फैलीराम मीणा, पूछताक्ष एवं सह आरक्षण लिपिक के पद पर कार्यरत है। कर्मचारी ने स्वयं के अनुरोध पर उत्तर रेलवे के जयपुर मंडल में बनस्थली निवाई/जयपुर पर स्थानांतरण हेतु लगभग दो वर्ष पूर्व उचित माध्यम से आवेदन दिया था किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई जिस कारण कर्मचारी अत्यंत व्यथित है।

उपरोक्त कर्मचारी के परिवार ग्राम मूण्डिया तहसील निवाई, जिला टोंक राजस्थान में निवासरत है कर्मचारी के परिवार में वृद्ध माता-पिता बीमार हालत में है जिनका इलाज वही चल रहा है। कर्मचारी के घर पर अन्य कोई जिम्मेदार अन्य सदस्य नही होने के कारण माता-पिता जी का सुचारू रूप से इलाज नही हो पा रहा है और न ही देखभाल। कर्मचारी का स्थानांतरण ना होने कारण वह अत्यंत दुखी है एवं अपने परिवार की देखभाल भी नही कर पा रहा है।

अतः कर्मचारी की पारिवारिक परेशानियों को देखते हुये उसके आवेदन पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुये मानवीय आधार पर अंतर रेलवे स्थानांतरण हेतु अतिशीध्र कार्यवाही कर यूनियन को अवगत कराने का श्रम करे।

WCREU/HQ/JBP/GS 13.01.14.

EU-06/2014

(a) अन्तर रेलवे आपसी स्थानान्तरण - प्रकरण श्री रामनाथ यदुवंशी पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र यदुवंशी गेंगमैन यूनिट सं. 08 अन्ता अधीन एस एस ई (रे.प.) बॉरा कोटा मडल-प.म.रे. जबलपुर साथ श्री हीरालाल बैरवा पुत्र श्री रामकिशन बेरवा गेंगमैन यूनिट सं. 13 परासिया अधीन एस एसई (रे.प.) जुन्नारदेव मंडल नागपुर म.रेलवे।

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री रामनाथ यदुवंशी पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द्र यदुवंशी गेंगमैन यूनिट सं. 08 अन्ता अधीन एस एस ई (रे.प.) बॉरा-कोटा मडल-प.म.रे. जबलपुर ने यूनियन के माध्यम से अनरोध किया है कि प्रार्थी ने श्री हीरालाल बैरवा पुत्र श्री रामकिशन बेरवा गेंगमैन यूनिट सं. 13 परासिया अधीन एसएसई (रे.प.) जुन्नारदेव - मंडल नागपुर - म.रेलवे से आपसी स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र फार्म ए,बी,सी पर भरकर डेढ़ माह पूर्व एस एसए ई (रे.प.) बॉरा के कार्यालय में जमा कर दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र को एस एस ई (रे.प.) बॉरा ने मंडल कार्यालय से आगे अग्रेषित कर दिया गया है। किन्तु मंडल कार्यालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को आगे अग्रेषित नही किया है।

म.रे.प्रं. कोटा के साथ हुई स्थाई वार्ता तंत्र की बैठक में यह निर्णय लिया गया था किसी भी कर्मचारी के स्थानान्तरण आवेदन पत्र को वो चाहे यूनिट स्तर का हो, मंडल स्तर का, अन्तर मंडलीय हो, अन्तर रेलवे का हो उसे रोका नही जावे। यही आदेश रेलवें बोर्ड के भी है।

यूनियन का अनुरोध है कि कृपया कोटा मंडल को निर्देशित करते हुए कि उक्त प्रार्थना पत्र को अग्रेषित करे एवं की गई कार्यवाही से यूनियन का सूचित करने का श्रम करें।

WCREU/KTT/GS/Engg/BAZ/2013/100 29.10.2013

www.wcreu.com

(b) अन्तर मंडलीय आपसी स्थानान्तरण प्रकरण श्री बलदेव सिंह निहाल पुत्र श्री अर्जुन ट्रेकमैन वे.मान् 5200–20200+1800 ग्रेड पे अधीन एसएसई (रे.प.)मांडल गढ़ –विभाग इन्जी कोटा मंडल –प.म.रे. साथ श्री हसंराज बैरवा पुत्र श्री रामलाल बैरवा ट्रेकमैन वे.मान् 5200– 20200+1800 ग्रेड पे कांटा बाजी अधीन एस एसए ई (रे.प.) कांटा बाजी इन्जी. विभाग– मंडल सम्बलपुर –भुवनेश्वर उड़ीसा ईस्ट कॉस्ट रेलवे ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री बलदेव सिंह निहाल पुत्र श्री अर्जुन ट्रेकमैन वे.मान् 5200–20200+1800 ग्रेड पे अधीन एस एस ई (रे.प.)मांडल गढ़ –विभाग इन्जी कोटा मंडल –प. म.रे. ने यूनियन के माध्यम से अनुरोध किया है कि प्रार्थी ने श्री हसंराज बैरवा पुत्र श्री रामलाल बैरवा ट्रेकमैन वे.मान् 5200– 20200+1800 ग्रेड पे कांटा बाजी अधीन एस एसए ई (रे.प.) कांटा बाजी इन्जी. विभाग– मंडल सम्बलपुर –भुवनेश्वर उड़ीसा ईस्ट कॉस्ट रेलवे से आपसी स्थानान्तरण हेतु आवेदन मूल प्रोफारमा ए,बी,सी. पर भर कर दि. 30.07.2013 को अपने कार्यालय का सेंापा है। कृपया उसे अग्रेषित करवाए जाने की व्यवस्था करें।

यूनियन का अनुरोध हे कि श्री बलदेव सिंह निहाल पुत्र श्री अर्जुन ट्रेकमैन वे.मान् 5200–20200+1800 ग्रेड पे अधीन एसएसई (रे.प.)मांडल गढ़ –विभाग इन्जी कोटा मंडल –प.म. रे. के आपसी स्थानान्तरण के प्रार्थना पत्र को स्वीकृति प्रदान कर अनुमोदित कर ई.सीओ.रेलवे को अग्रेषित कर यूनियन को सूचित करने का श्रम करें।

WCREU/KTT/GS/Engg/Tfd/2014/004 20.01.2014

(c) स्वयं के अनुरोध पर अंतर मंडलीय स्थानांतरण के सम्बंध में।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि भोपाल मण्डल के म्याना (गुना) स्टेशन में श्री सुरेन्द्र सिंह मीणा, ट्रैकमेन के पद पर कार्यरत है। कर्मचारी ने स्वयं के अनुरोध पर कोटा मंडल मे स्थानांतरण हेतु लगभग आठ माह पूर्व उचित माध्यम से आवेदन दिया था किन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई तथा प्रकरण भोपाल मे ही लंबित है जिस कारण कर्मचारी अत्यंत व्यथित है।

उपरोक्त कर्मचारी के परिवार कोटा जिला दौसा राजस्थान में निवासरत है कर्मचारी के परिवार में वृद्ध माता-पिता बीमार हालत में है जिनका इलाज वही चल रहा है। कर्मचारी के घर पर अन्य कोई जिम्मेदार सदस्य नही होने के कारण माता-पिता जी का सुचारू रूप से इलाज नही हो पा रहा है और न ही देखभाल। कर्मचारी का स्थानांतरण ना होने कारण वह अत्यंत दुखी है एवं अपने परिवार की देखभाल भी नही कर पा रहा है।

अतः कर्मचारी की पारिवारिक परेशानियों को देखते हुये उसके आवेदन पर सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण रखते हुये मानवीय आधार पर अंतर रेलवे स्थानांतरण हेतु अतिशीध्र कार्यवाही कर यूनियन को अवगत कराने का श्रम करे ।

WCREU/HQ/JBP/GS 24.01.14.

www.wcreu.com

(d) अन्तर मंडलिय आपसी स्थानान्तरण जबलपुर से कोटा - प्रकरण श्री मलखान सिंह जाट पुत्र श्री राधेश्याम जाट गेंट मैन वे.मान् 5200-20200+1800 ग्रेड पे यूनिट सं. 2 करकबेल अधीन एसएसई(रे.प.) करकबेल श्रीधाम मंडल जबलपुर प.म.रे. साथ श्री दिलिप कुमार चंदेल पुत्र श्री प्रहलाद सिंह चन्देल गैंगमैन वे.मान् 5200- 20200+1800 ग्रेड पे यूनिट सं. 2 बूंदी अधीन एस एस ई (रे.प.) बूंदी मंडल कोटा प.म.रे.।

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री मलखान सिंह जाट पुत्र श्री राधेश्याम जाट गेंट मैन वे.मान् 5200-20200+1800 ग्रेड पे यूनिट सं. 2 करकबेल अधीन एस एस ई(रे.प.) करकबेल श्रीधाम मंडल जबलपुर प.म.रे. ने यूनियन के माध्यम से अनुरोध किया है कि प्रार्थी ने श्री प्रहलाद सिंह चन्देल गैंगमैन वे. मान् 5200- 20200 + 1800 ग्रेड पे यूनिट सं. 2 बूंदी अधीन एस एस ई (रे.प.) बूंदी मंडल कोटा प.म.रे. से आपसी स्थानान्तरण हेतु आवेदन 30.07.2013 को अपने कार्यालय में जाम किया था। कृपया प्रार्थना पत्र को अग्रेषित करवाए जाने की व्यवस्था करें।

यूनियन का अनुरोध है कि श्री मलखन सिंह जाट पुत्र श्री राधेश्याम जाट गेंट मैन जबलपुर मंडल एवं श्री प्रहलाद सिंह चन्देल गैंगमैन कोटा मंडल के आपसी स्थानान्तरण के आवेदन को आवश्यक कार्यवाही कर कोटा मंडल हेतु अग्रेषित करवाते हुए यूनियन को सूचित करनें का श्रम करें।

WCREU/JBP/GS/Engg/SRID/2013/110 date 28.11.2013

EU-07/2014

कुमारी प्रतीक्षा भोंसले को परिवार पेंशन प्रदान करने के सम्बंध में।

कुमारी प्रतीक्षा के पिता स्व. श्री हरीश चन्द्र चन्द्रभान रेलवे में वेल्डर के पद पर कैरिज वैगन विभाग सतना में कार्यरत थे तथा उनकी मृत्यु दिनांक 08.07.2008 को हो चुकी है तथा प्रार्थी की माता जी श्रीमति तारामती का निधन भी दिनांक 13.09.2009 को हो चुका है। अब इनके परिवार में एक भाई श्री अनमोल भोंसले जो विवाहित है एवं स्वयं प्रतीक्षा भोसले अविवाहित एवं बेरोजगार है।
भाई को रेलवे विभाग में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी मिल चुकी है कुमारी प्रतीक्षा के पिता जी की मृत्यु के उपरान्त उनकी माताजी की पेंशन शुरू भी नही हुई थी और उनकी भी मृत्यु हो गई।
अतः अनुरोध है कि कुमारी प्रतीक्षाजो कि अविवाहित एवं बेरोजगार है का नाम कर्मचारी के पीपीओं में दर्ज कर उसे परिवार पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था करें।

WCREU/HQ/JBP/GS 10.12.13.

EU-8/2014

Creation of Posts of Assistant Commercial Clerk, Scale Rs. 5200-20200 + 2000 GP Kota divin.

Ref:- Sr.DPO-Kota's letter No. WCR/P-KTT/165/EC/ACC dt. 10-10-2013 to CPO-JBP

Kindly call for Sr.DPO-KTT's letter dated 10-10-2013 under reference in which competent authority's sanction has been sought for creation of 14 posts of Assistant Commercial Clerks in scale Rs. 5200-20200+2000 GP at various station of Kota Division.

www.wcreu.com

A copy of Sr.DPO-Kota's letter dt. 10-10-2013 in enclosed for ready reference.

Kindly look into the matter and convey sanction for creation of these at the earliest possible so that work may not suffer.

WCREU/KTT/GS/Comml/Creation/2013/0010   31-10-2013

EU-9/2014

स्वयं के अनुरोध पर अन्तर रेलवे स्थानान्तरण बाबत - प्रकरण श्री नीरज कैन लोको पायलट वे. मान् 4200 ग्रेड पे पनवेल लाबी मुम्बई सैंट्रल/सीएसटीएम/म.रे.

संदर्भः-एन.ओ.सी. पत्र सं. एचपीबी/855/टीडभ्एस/प.म.रे. दि. 23.1.2013.

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री नीरज कैन लोको पायलट वे.मान् 4200 ग्रेड पे पनवेल लाबी मुम्बई सैंट्रल/सीएसटीएम/म.रे.ने अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम एक प्रार्थना पत्र दि. 29.11.12013 को दिया है(छाया प्रति संलग्न है) ।

प्रार्थी ने स्वयं के अनुरोध पर अन्तर रेलवे स्थानान्तरण पर कोटा मंडल प.म.रे. हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। पत्र मुख्यालय में कोटा मंडल पर अग्रे´ित हेतु लम्बित है।

यूनियन का अनुरोध है कि श्री नीरज कैन लोको पायलट वे.मान् 4200 ग्रेड पे पनवेल लाबी मुम्बई सैंट्रल/सीएसटीएम/म.रे.के प्रार्थना पत्र को कोटा मंडल हेतु अग्रेषित कर यूनियन को सूचित करने का श्रम करें।

WCREU/JBP/GS/Loco/MCT/2013/034   29.11.2013

EU-10/2014

Promotion to the post of Junior Account Assistant scale 5200- 20200 + 2800 GP – Accounts deptt – KTT Dn. – Cases Of Poonam Sharma and Keshav Mishra Account clerk under Sr DFM – KTT

Ponam Sharma and Keshav Mishra working as Accounts clerk under Sr DFM – KTT vide their joint representation dated Nil , copy of which is enclosed for ready reference , have requested to consider their case for promotion to the post Junior Accounts Assistant in scale Rs- 5200-20200+2800 G.P. on the grounds explained therein.

Kindly examine their cases in its right perspective and consider their cases for promotion to 2800 GP under advice to WCREU.

WCREU/JBP/GS/Account/KTT/2013/114   14.12.2013

www.wcreu.com

EU-11/2014

रेलवे प्राथमिक विद्यालय वर्कशाप कालोनी कोटा के बाबत –.वर्कशाप कालोनी के कर्मचारियों का सामूहिक आवेदन

उपरोक्त विषय में लेख है कि वर्कशाप कालोनी कोटा मंडल प.म.रे के कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से अनुरोध किया है कि उन्हें विशवस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि रेल प्रशासन, रेलवे वर्कशाप कालोनी के रे.प्रा.विद्यालय कोटा जं. को रे.प्रा.विद्यालय पुरानी रेलवे कालोनी में मर्ज कर चलाने की योजना बना रही है। कर्मचारियों का निवेदन है कि रे.प्रा. विद्यालय पुरानी रेलवे कालोनी, रेलवे वर्कशाप कालोनी के रे.प्रा.विद्यालय कोटा जं. से काफी दूर है। कर्मचारियो के छोटे छोटे बच्चे वहां तक नही जा सकते है। जब कि रेलवे वर्कशाप कालोनी के रे.प्रा.विद्यालय कोटा जं. कालोनी के मध्य में स्थित है। इसीलिये बच्चों का स्कूल आने जाने में कोई परेशानी नही होती है। निवेदन है रेल कर्मचारियों के छोटे छोटे वच्चों के भविष्य का घ्यान में रखते हुए एवं बच्चों की सुरक्षा के मद्दे नजर विद्यालय को यथा स्थान पर ही चलाए जाने की सहमति प्रदान करें।

यूनियन का अनुरोध है कि कि पिछले कई वर्षो का अनुभव है कि रेल कर्मचारियों के खास कर ग्रुप डी एवं सी की वे छोटी केटेगरी के बच्चे वेसे ही नही पढ पा रहे है। LARSGES स्कीम इस का ज्वलंत उदाहरण है। अतएव निवेदन है कि रेलवे वर्कशाप कालोनी के रे.प्रा.विद्यालय कोटा जं. को यथा स्थान पर ही चलाते रहते हुए यूनियन को सूचित करने का श्रम करें।

WCREU/KTT/WRS/GS/School/2013/119 31.12.2013

EU-12/2014

Issue of first Class Privilege / Duty Passes – staff working under Chief Works Manager , Wagon Repair Shop – KTT Dn.WCR

In this context kindly call for CWM (WRS) KTT's letter No. WCR/WRS/ 17 /EI dt. 15.11.2013 having reference to DRM(P) , S.E. Rly , Kharagpur's letter No. E/Pass/2/13 dt. 05.03.2013 in which certain clarification has been sought for for issue of first class privilege Passes/Duty Passes to which your clarification in the matter is still awaited by CWM (WCR) KTT. Copies of both the letters under reference are enclosed for ready reference and record at yours. In absence of any directives from your end , copies of applications of the following staff working under the administratative control of CWM(WCR) KTT requesting for issue of first class Privilege passes to them and received by the undersiged are enclosed for ferther disposal please –

1-	Sh. Krishna Murari	Rivitter
2- !!	Mohad Yusuf	Tech.Grl
3- !!	Mahendra Kumar	Fitter Gr.I
4- !!	Sarfuddin	!!
5- !!	satya Narayn	!!
6- !!	R.N. Mukherji	Rivitter
7- !!	Vijai Kumar	Welder Grl
8- !!	Mangi lal Dixit	Fitter Gr.I
9- !!	Suresh chand	Fitter Gr.I

With a view to avoid any further delay in disposal of these applications, WCREU urge for immediate issue of directives in the matter to CWM(WRS) KTT . An early action and feed back in the matter is requested.

WCREU/KTT/GS/WRS/Passes/2014/001 01.01.2014

www.wcreu.com

EU-13/2014

Recommendation of the Committee of Executive Director to look into the grievances of Ticket Checking staff in TTE's Rest House on Zonal Rlys.

In this context your kind attention is invited to Executive Director , Passenger Marketing , Railway Board's letter No. 2010/TG - v/10/03 (Commercial circular N0.71/2013) dated 14.10.2013 in which recommendations as emphasized by the Committee of Executive Directors have been notified in detail.

Kindly look in to the matter and explore probability of providing new Rest House for TTE's , if any ,and take action to provide facilities in TTE's rest Houses as per instructions contained in Rly . Boards letters dt. 080.02.2011 and 03.08.2012 as mentioned in para -2 of Board's letter dt. 1411.2013 referred to above.

WCREU may be apprised of the action taken in the matter.

WCREU/KTT/Rest House/2014/005 02.01.2014

EU-14/2014

जबलपुर स्टेशन की टीटीई लिंक के सम्बंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि दिनांक 15.11.2013. से गाडी संख्या 13202 एवं 11093 के लिंक जवंशन से छिवकी होकर जाने से टीटीई लिंक में जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसके लिये आपके द्वारा छिवकी तक कार्य करने की आदेश पारित किये गये थे एवं स्टाफ सहर्ष छिवकी तक कार्य करने के लिये तैयार था परन्तु छिवकी स्टेशन पर एनसीआर के स्टाफ द्वारा जबलपुर के स्टाफ को चार्ज न देकर मानिकपुर स्टेशन पर जार्च दिया जाने लगा। इस कारण से जबलपुर स्टाफ वर्तमान में मानिकपुर स्टेशन तक कार्य कर रहा है एवं मानिकपुर मे उन्हे रेस्ट हाउस की सुविधा प्रदान की गई है।

इसी तारतम्य मे वर्तमान मे सर्वविदित है कि मुगलसराय एवं वाराणसी रेस्ट हाउस मे टीटीई रेस्ट हाउस मे जो सुविधाऐं मिलनी चाहिए वो लगातार प्रयास के बावजूद भी नही मिल पा रही है और जबलपुर स्टाफ सुविधाओं के आभाव में निरन्तर मुगलसराय एवं वाराणसी तक कार्य कर रहा है।
अतः आपसे अनुरोध है कि यूनियन द्वारा प्रस्तावित बीट मे जबलपुर स्टाफ से कार्य कराया जाये जिससे टीटीई स्टाफ की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करवाने मे पमरे प्रशासन को आपेक्षाकृत अधिक सुविधा होगी।

छिवकी स्टेशन पर पमरे द्वारा ही टीटीई स्टाफ को रेस्ट हाउस की सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

गाडी संख्या 12181 दयोदया एक्स. को गुना डिपो से चलाने हेतु प्रस्ताव आपके द्वारा पूर्व मे दिया गया है जिस पर विचार करने का समय आ गया है क्योंकि नया स्टाफ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सेवा हेतु उपलब्ध हैं।

www.wcreu.com

प्रस्तावित बीट- जिस पर विचार की आवश्यकता है -

Sr No.	TRAIN	EXISTING	PRAPOSED
1	15010/15009	JBP/MKP/JBP	JBP/MKP/JBP
2	13202/13201	JBP/MKP/JBP	JBP/MKP/JBP
3	11093/11094	JBP/MKP/JBP	JBP/MKP/JBP
4	12167/12168	JBP/BSB/JBP	JBP/MKP/JBP
5	19045/19046	JBP/BSB/JBP	JBP/COI/JBP
	19047/19048	JBP/MGS/JBP	JBP/COI/JBP
6	12336/12335	JBP/MGS/JBP	JBP/COI/JBP
	15645/15646	JBP/MGS/JBP	JBP/COI/JBP
	15647/15648	JBP/MGS/JBP	JBP/COI/JBP
7	12578/12577	JBP/MGS/JBP	JBP/COI/JBP
	22352/22351	JBP/MGS/JBP	JBP/COI/JBP

निम्नलिखित गाडियां पूर्व निर्धारित बीट का ही प्रस्ताव है -

Sr No	TRAIN	BEAT
1	12362/12361	JBP/MGS/JBP
2	17610/17609	JBP/MGS/JBP
3	19049/19050	JBP/MGS/JBP
4	19051/19052	JBP/BSB/JBP
5	19057/19058	JBP/BSB/JBP
6	12141/12142	JBP/MGS/JBP
7	12390/12389	JBP/MGS/JBP
8	12741/12742	JBP/MGS/JBP
9	12519/12520	JBP/MGS/JBP

WCREU/HQ/JBP/GS **23.01.14.**

EU-15/2014

भोपाल -बीना खंड के रेल कर्मचारियो की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि भोपाल बीना खंड का गंजबासोदा स्टेशन “**A**” क्लास स्टेशन है जहां लगभग 126 रेलवे आवास है तथा आसपास के परिक्षेत्र में लगभग 500 कर्मचारी एवं उनके परिवार रहते है। इन परिवारो में शादी विवाह आदि अनेक मांगलिक कार्यक्रम होने पर उन्हे मंहगे हाल किराये पर लेने पडते है।

अतः कर्मचारियों के लिये गंजबासोदा में एक सामुदायिक भवन का होना अति आवश्यक है जिससे शादी विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम हेतु कर्मचारी उसका इस्तेमाल सुविधा एवं उचित बजट में कर सकें।

WCREU/HQ/JBP/GS **24.01.14.**

EU-16/2014

भोपाल -बीना खंड के रेल कर्मचारियो की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में ।

उपरोक्त विषय में लेख है कि भोपाल बीना खंड के गुलाबगंज स्टेशन पर बुकिंग ज्यादा होने के कारण मंडल पीएनएम पर बुकिंग क्लर्क की मांग की गई थी किन्तु स्टाफ की कमी के कारण वहां इस कार्य के लिये पार्सल

www.wcreu.com

पोर्टर की पोस्टिंग कर दी गयी थी किंतु उसके अनपढ होने के कारण वह इस कार्य को करने में असमर्थ रहा। अभी वहां **JTBS** लगाया गया है। सीसीएम द्वारा गुलाबगंज स्टेशन को "**E**" क्लास से "**D**" क्लास में वर्गीकृत कर दिया है नतीजन वहां **STBS** का प्रावधान संभव नही है। नियमानुसार "**D**" क्लास स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क का प्रावधान होता है तथा **STBS** का प्रावधान नही होता है।

अतः इस स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क की पदस्थी की जाये या इस स्टेशन को "**E**" क्लास में वर्गीकृत किया जाये जिससे वहां **STBS** का प्रावधान किया जा सके।

WCREU/HQ/JBP/GS 24.01.14.

EU-17/2014

टी.आर.एस नकज में कार्यरत कर्मचारी श्री सिरमौहर मीना की वरीयता पूर्व सेवा को जोड़कर निर्धारित किये जाने बाबत्।

संदर्भः- 1. मुख्यालय मद क्र. 59/2013।

2. म.रे.प्र (का) का पत्र जबल/का/टी.ारएस/सि.मीना दि. 18.04.2013

3. म.रे.प्र(का) का पत्र जबल/का/558/इंजी/कार्य/नियुक्ति दि. 01.07.2010

यूनियन ने मुख्यालय पी.एन.एम मद क्र. 59/2013 के माध्यम से इस विषय को उठाया था कि पूर्व मे इलेक्ट्रिक लोको वर्क शॉप पैराम्बूर चैन्नई मे टेक्नी-III के पद पर दिनांक 02.05.2009 को नियुक्त हुआ था। पदस्थी के उपरान्त कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रिक लोको वर्कशॉप पैराम्बूर चैन्नई मे ही 06 माह की ट्रेनिंग पूर्ण कर ली गई थी। कर्मचारी दि. 03.06.2011 को जबलपुर मंडल मे एनकेजे विद्युत शेड मे RRB के माध्यम से पदस्थ हुआ, चूकि कर्मचारी ने अपनी 06 माह की ट्रेनिंग पहले ही पूर्ण कर ली थी अतः वरीयता सूची मे कर्मचारी की पदस्थी तिथि 03.06.2011 ही लिखी जाना चाहिए तथा उसी के अनुरूप उसे पदोन्नति भी प्राप्त होना चाहिए।

जिस पर म.रे.प्र.(का) जबलपुर ने सन्दर्भित पत्र क्रमांक-II दिनांक 18.04.2013 के अनुसार जबाब दिया था कि श्री सिरमौहर मीना टेक्नी.-III टीआरएस नकज पैराम्बूर से तकनीकी त्याग पत्र देकर आरआर बी भोपाल के माध्यम से Fresh तौर पर टेक्नी.-III में भर्ती हुआ और 06 माह की ट्रेनिंग अन्य चयनित उम्मीदवारों के साथ सम्पन्न होने पर इनकी वरीयता/पदस्थी परीक्षा की मेरिट के हिसाब से रखी गई है जो कि सही है। चूंकि कर्मचारी त्याग पत्र देकर आया था इसलिये वह केवल Pay Protection and Qualifying service period for the purpose of pensionary benefit only (along with lien) के पाने का ही हकदार होता है। जिस आधार पर मद क्र. **EU59/2013** को समाप्त कर दिया गया था।

जबकि जबलपुर मण्डल मे ही इस प्रकार से RRB के माध्यम आये खंड अभियन्ता (कार्य) श्री राजकुमार गुप्ता को वरीयता उनकी पूर्व सेवा को जोड़कर दी गई है इस आशय का सन्दर्भित पत्र क्र-III संलग्न है।

यूनियन का अनुरोध है कि श्री सिरमौहर मीना टेक्नी.-III को भी श्री राजकुमार गुप्ता एस.ई.(वर्क्स) अनु. सागर की भॉति पूर्व सेवा को जोड़ते हुए वरीयता का लाभ दिया जावे।

WCREU/HQ/JBP/GS 13.01.14.

www.wcreu.com

EU-18/2014

लेखा विभाग मे कार्यरत कर्मचारियो की विभिन्न समस्याऐं।

(A) वरि.अनु. अधिकारियों की पदस्थापना (Posting) हेतु।

यूनियन की जानकारी मे आया है कि जबलपुर मंडल के लेखा विभाग मे वरि. अनुभाग अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 25 है, जबकि वर्तमान मे कार्यरत वरि. अनुभाग अधिकारियो की संख्या मात्र 19 है। (24% पद रिक्त है) श्री ज्ञान सिंह वरि. अनुभाग अधिकारी का स्थानांतरण मार्च 2013 में इस कार्यालय से कोटा स्थानान्तरण होने के पश्चात उनके स्थान पर अभी तक किसी अनुभाग अधिकारी की पदस्थापना नहीं की गयी है। विदित हो कि छठवे पे कमीशन के पश्चात् नई योजनाओं जैसे एम.ए.सी.पी. लार्जेस स्कीम, छुट्टी नकदी कारण **(Leave incashment)** शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति, पेंशन रिविजन आदि के कारण कार्यभार में काफी वृद्धि हुई है जिसके कारण प्रत्येक अनुभाग अधिकारियो पर कार्य का अतिरिक्त बोझ है। इस कारण से मण्डल पर कार्यरत कर्मचारियो के Due/Drawn, Pay Fixation Card के Verification जैसे कार्य विलम्बित होते है।

अतः यूनियन माँग करती है कि जबलपुर मंण्डल मे खाली सीनि. एस.ओ के पदों को अविलम्ब भरे जाने की कार्यवाही की जावे।

(B) लेखा विभाग के कर्मचारियो के आवधिक स्थानान्तरण हेतुः-

जबलपुर मे लेखा विभाग के दो कार्यालय है- एक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय तथा दूसरा वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक कार्यालय।

यूनियन यह माँग करती है कि इन दोनों कार्यालयो के बीच कर्मचारियो के आवधिक स्थानान्तरण (Periodical Transfer) से संबंधित नीति बनाई जाये, ताकि लेखा विभाग के कर्मचारियो को दोनों इकाईयों पर कार्य करने का अवसर मिले। तथा अनुभव मे बढ़ोत्तरी हो वर्तमान में कई कर्मचारियो ने मण्डल से मुख्यालय स्थानान्तरण हेतु आवेदन लगाये है उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया है किन्तु यदि उनसे नाराजगी हो जाती है तो उन्हें मुख्यालय रिलीव कर दिया जाता है।

EU-19/2014

जबलपुर मण्डल की कटनी -नई कटनी-एसकेपी रेल कालोनी से सम्बन्धित समस्याऐ।

(A) पूर्व मे सड़क निर्माण किये जाने के बाद उसके किनारे WBM या अन्य सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण से कटनी से एस.के.पी होते हुए नकज जाने वाली मेनरोड तथा कालोनी की अन्य सड़के किनारो से क्षतिग्रस्त हो रही है। कई जगह (खासतौर से एस.के.पी. क्षेत्र मे) सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। जगह-जगह डेढ़ दो फीट गहराई तक गड्डे हो गये है।

अनुरोध है कि सड़क के दोनो ओर हो गये गड्डो को भरने की कार्यवाही की जावे।

(B) उक्त कालोनी मे सीवरेज सिस्टम काफी पुराना है, तथा जगह-जगह से क्षति ग्रस्त हो रहा है। नतीजन कई जगहो पर नाइट स्वाइल नालियो मे बहता है जो कि अस्वास्थकर है है। कालोनी का आकार भी बढ़ रहा है।

अतः अनुरोध है, कि नई कटनी-एस.के.पी कालोनी के लिए सीवरेज सिस्टम मे सुधार हेतु कार्यवाही की जावे।

(C) जबलपुर मंडल के रेल आवासों की मरम्मत इत्यादि के लिए रेवेन्यू मद के तहत कम राशि आंवटित करने बाबत्।

संदर्भः– WCREU/JBP/HQ/GS/01/967 दिनांक 03.01.2014

जबलपुर मण्डल पर कार्यरत रेल कर्मचारियो से लगातार इस बाबत शिकायत प्राप्त होती रही है। कि उनके रेल आवासो की छोटी-छोटी मरम्मत जो कि रेवेन्यू या जोनल ठेके की राशियो से ही हो सकती है। नहीं तो

www.wcreu.com

पा रही है। इस वर्ष तो यह स्थिति बनी कि जितने रेल आवास पुताई के लिए डयू थे उनके एक तिहाई की भी पुताई नही हो पाई थी। तथा रेवेन्यू के तहत कार्य भी स्वीकृत नहीं किये जा सके।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि मुख्यालय वित्त विभाग द्वारा मंडलो को PU 32 (रेवेन्यू) की मद मे रेलवे बोर्ड द्वारा आंवटित राशि से भी कम राशि आंवटित की गई है। जिस कारण जोनल ठेके मे पिछले वर्षो से भी कम राशि आंवटित की जा सकी है। जिसके कारण से यह स्थिति निर्मित हुई है साथ ही साथ मंडल को रेवेन्यू (PU 32) के तहत आंवटित राशि का आवंटन कम किये से कार्य स्वीकृत नही किये जा सके है।

यह बात यूनियन की समझ से परे है कि किन कारणो एवम् परिस्थितियो मे मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि से भी कम राशि मंडलो को आवंटित की जिसके परिणाम स्वरूप रेल आवासो के अनुरक्षण कार्य प्रभावित हो रहे हे।

अनुरोध है कि मण्डलो को रेवेन्यू मद के कार्य हेतु पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाये जिससे रेल आवासो की मरम्मत, पुताई इत्यादि का कार्य सम्पन्न हो सके तथा रेल कर्मचारी अपने आवासों में निश्चिंतता पूर्वक रह सके।

(D) पूल बैलसिंग के तहत मुख्यालय पूल से रेल आवास मण्डल पूल मे लिये जाने के विषय मे।

संदर्भः–WCREU/DC/JBP/22/325 दिनांक 30.12.2013

उक्त विषयक कथन है कि वर्तमान मे डिवीजन पूल के बहुत से रेल आवासो मे, मुख्यालय मे कार्यरत कर्मचारी रह रहे है, किन्तु इन आवासो के बदले मे मुख्यालय से रेल आवास, मण्डल को नहीं मिले है। इससे जबलपुर मंडल के पूल मे रेल आवासो की कमी हो गई है। पिछले दिनो RRB/RRC से कर्मचारियो के आ जाने से रेल आवासो की माँग बढ़ी है।

यूनियन की जानकारी मे करीब 20-25 रेल आवास ऐसे है, जिन्हें या जिनके बदले मे मुख्यालय पूल से आवास लेना है। वर्तमान मे वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे के ''भर्ती सेल'' का कार्यालय ही मंडल के 6 रेल आवासो मे संचालित हो रहा है।

यूनियन की माँग है कि मुख्यालय से मंडल पूल के रेल आवासो को वापस लिये जाने की कार्यवाही की जावे।

EU-20/2014

भोपाल मंडल में कुल 47 लोको रनिंग सुपरवाईजर कार्यरत है, इनमें से 24 सुपरवाईजर लाईन ड्यूटी नही कर स्टेशनरी ड्यूटी कर रहे है । सिर्फ 23 लोको निरीक्षकों लाईन पर कार्यरत है (भोपाल-10, इटारसी-4, बीना-6, गुना-3) जबकि नियमानुसार 37 एल.आई.लाईन पर कार्यरत होने चाहिये (लीव रिजर्व सहित) लोको निरीक्षकों को नियम विरूद्ध लोको फोरमेन (सी.सी.ओ.आर.) में लगाया गया है, 04 लोको निरीक्षकों को रनिंग रूम एल.आई.में लगाया गया है जबकि इन जगहों पर ड्राफ्टेड रनिंग सुपरवाईजरों को रेलवे बोर्ड के नियमानुसार लगाया जाना चाहिये । मंडल में कुल लो.पा. -687, शंटर-137, सहा.लो.पा-687 है, नियमानुसार 25 लो.पा. पर 01 एल.आई.तथा 50 शंटर पर 01 एल.आई.होना चाहिये । लोको निरीक्षक कैडर में लीव रिजर्व के 12.5 प्रतिशत पद रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत है लेकिन भोपाल डिवीजन में एक भी पद स्वीकृत नही है । इस संबंध में वे.से.रे.ए.यूनियन ने मुख्यालय पर सी.ओ.एम., सी.ई.ई., सी.पी.ओ. को भी प्रपत्र सौपने का कार्य किया है किन्तु 01 वर्ष होने के बाद भी आज तक एक भी लीव रिजर्व का पद स्वीकृत नही किया गया है जबकि 06 पद स्वीकृत होने है।

कार्य की अधिकता के कारण लोको निरीक्षक लॉबियों में अन्य मंडलो (झांसी, नागपुर, भुसावल इत्यादि) की तरह रनिंग कर्मचारियों को उचित एवं आवश्यक मार्गदर्शन नही दे पा रहे है।

यूनियन आग्रह करती है कि लोको रनिंग स्टाफ में सीधे संरक्षा-सुरक्षा से जुडे होने के कारण उचित निर्देश देने हेतु स्टेशनरी ड्यूटी से लोको निरीक्षको को निकालकर लोको पायलेटो को मार्गदर्शन देने हेतु

www.wcreu.com

लाईन पर तैनात करें। साथ ही एल.आई.कैडर में लीव रिजर्व पदों को तुरन्त सृजित करने का कार्य भी किया जायें।

EU-21/2014

रेल उद्योग में नियमित प्रकृति के कार्यो को ठेकेदार द्वारा न कराये जाने का स्पष्ट आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है किन्तु भोपाल मंडल में (लोको पायलेट, गार्ड) बॉक्स -बॉय, कॉल-बॉय रनिंग रूमों में कुक बेयरा एुंव अटेन्डेन्ट के कार्यो को ठेकेदारी पर दे दिया गया है। भोपाल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक को जब यह प्रकिया की जा रही थी तभी यूनियन ने आगाह किया था तथा इस नियमित वर्क को ठेकेदारी पर न देने का अनुरोध किया था। यूनियन का स्पष्ट मानना है कि रेलवे में सदैव ट्रेन संचालन में लो.पा.एवं गार्ड की आवश्यकता रहेगी तथा रनिंग रूम भी सदैव रहेंगें। अतः रनिंग रूम के कार्य हेतु बॉक्स -बॉय, कॉल-बॉय कुक बेयरे एवं अटेन्डेन्ट की आवश्यकता सदैव रहेगी। अतः इस नियमित कार्य में ठेकेदारी समाप्त कर विभागीय कर्मचारियों से यह कार्य करवाया जाये।

EU-22/2014

रेलवे हायर सेकेण्ड्री स्कूल इटारसी में शिक्षक के 11 पद रिक्त है जिससे स्कूल में पढ़ रहे छात्रों की पढाई प्रभावित होती है। अनेको बार मंडल कार्यालय में बोलने के बाद भी कोर्ट कार्यवाही नही हो पाई है। यूनियन मांग करती है कि शीघ्र ही रिक्तियां भरी जाये एवं जब तक रिक्तियां नही भरी जाती संविदा आधार पर रखा जाये। रेलवे हायर सेकेण्ड्री स्कूल इटारसी में कामर्स विषय की पढाई नही हो रही है जिसकी वजह से काफी छात्र/छात्राओ को 10 वीं के बाद स्कूल छोडकर दूसरे स्कूल जाना पडता है। कॉमर्स विषय प्रारम्भ किया जाये।

EU-23/2014

विद्युत लोको शेड इटारसी में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याऐं।

(a) विद्युत लोको शेड इटारसी मे लोको की संख्या के अनुरूप स्टाफ नही है। 130 लोको की स्वीकृति में 175 लोको का कार्य किया जा रहा है। मंडल काफी समय से लम्बित होने के बाद 194 पदों की स्वीकृति का प्रस्ताव भेजा गया है। यूनियन मांग करती है कि शीघ्र ही प्रस्ताव रेलवे बोर्ड स्वीकृति हेतु भेजा जाये।

(b) विद्युत लोको शेड इटारसी में बचाव वस्त्र के तहत (वर्दी) में डागरी क्लाथ देने का मुद्दा पिछले 02 वर्षो से मुख्यालय पी.एन.एम.में चल रहा था परन्तु तीन वर्षो से डागरी क्लाथ नही दिया जा रहा है जबकि कटनी टी.आर.एस.शेड में वर्दी बचाव वस्त्र के तहत दी जा चुकी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अनेको बार प्रस्ताव मुख्यालय में गया परन्तु कोई कार्यवाही नही की जा रही है। यूनियन मांग करती है कि टी.आर. एस.शेड इटारसी में भी बचाव वस्त्र के तहत वर्दी दी जाये।

(c) इटारसी विद्युत लोको शेड में पदो की स्वीकृति के अनुसार कैडर रि-स्ट्रक्चरिंग में पदों के प्रतिशत की सही गणना नही की जा रही है। पदों की स्वीकृत संख्या में 10वीं पास से जो टेक्नीशियन टी. आर.एस.शेड में बनाये गये थे जिनकी संख्या लगभग 152 है उन्हें कैडर रि-स्ट्रक्चरिंग की गणना में शामिल नही किया जा रहा है। वर्तमान में मंडल पर मुद्दा लाने पर पी.एन.एम. में कहा गया है मुख्यालय द्वारा आदेश पारित होने पर उन्हें शामिल कर प्रतिशत के अनुसार पदों की गणना की जायेगी।

www.wcreu.com

EU-24/2014

(अ) बीना के डिप्टी.एस.एस.परिचालन की समस्या के क्रम में :-

बीना के सभी डिप्टी.एस.एस.परिचालन में पास रोजाना स्टेशन कैश भेजा जाता है परिचालन संबंधी कार्यो में व्यस्त रहने के कारण डिप्टी.एस.एस.कैश नही गिन पाता है जिससे अकसर कैश शार्ट हो जाता है जिसे उन्हें अपनी जेब से मिलाना पडता है स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में वाणिज्य विभाग के सुपरवाईजर मौजूद है। यूनियन मांग करती है कि कैश संबंधी कार्य वाणिज्य विभाग से कराया जाये इसी प्रकार सफाई संबंधी ठेकेदार की लागबुक को भी डिप्टी.एस.एस.परिचालन से वेरीफाई करवाया जाता है जबकि परिचालन संबंधी कार्यो में व्यस्त रहने के कारण सफाई संबंधी कार्यो की निगरानी करना संभव नही है। यूनियन मांग करती है कि यह कार्य भी वाणिज्य विभाग के सुपरवाईजर या स्वास्थ्य निरीक्षक से करवाया जाये।

(ब) यूनियन द्वारा मंडल प्रशासन से लगातार मांग करने के बावजूद डिप्टी.एस.एस.आफिस में अटैच लेट बाथरूम नही बनाया जा रहा है एवं डिप्टी.एस.एस.आफिस का फर्नीचर भी नही बदला जा रहा है यूनियन मांग करती है कि तुरन्त इन दोनो कार्यो को कराया जाये।

EU-25/2014

चार वर्ष से अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों द्वारा रेल कर्मचारियों को प्रताडित करने के सम्बंध में।

1. बीना रेलवे अस्पताल में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा निदेशक का पद है जिस पर पदस्थ चिकित्सक पिछले कई वर्षो से पदस्थ है एवं बीना के ही निवासी है जिससे अस्पताल की व्यवस्था खराब होती जा रही है। स्थानीय होने के कारण रेल कर्मचारी एवं उनके परिवार को बाहरी असमाजित तत्वों द्वारा प्रताडित करवाया जा रहा है जिससे भय का वातावरण बना हुआ है।
   अतः रोटेशनल पॉलिसी के तहत ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से अन्यत्र किया जाये।
2. वरि.मंडल विद्युत अभि.सामान्य कोटा को मंडल मे पदस्थ हुये लगभग 08 वर्ष हो गये है लगातार रेल विभाग एवं रेल कर्मचारियों का निजी उपयोग कर रहे है। इस सम्बंध मे वरि.पर्यवेक्षकों द्वारा एक संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन भी मुख्य विद्युत अभियंता, वरि.उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी तथा महाप्रबंधक महोदय को भी प्रेषित किया गया है। इस पर उचित व प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।
3. मुख्यालय के भंडार विभाग मे डिप्टी सीएमएम(वैगन) लगातार 10 वर्षो से जबलपुर मुख्यालय में ही पदस्थ है। रेल कर्मचारियों को प्रताडित करने के साथ ही मान्यता प्राप्त संगठन से औद्योगिक सम्बंध खराब करने मे अच्छी भूमिका निभा रहे है। इस पर शीध्र कार्यवाही अपेक्षित है।
4. टीकेडी विद्युत लोको शेड की डिस्पेंसरी मे कार्यरत रेलवे चिकित्सक लगातार 20 वर्षो से रेल कर्मचारियो एवं उनके परिवार का इलाज करने की बजाये अन्य गैर रेल के कार्यो मे व्यस्त रहते है। तथा डिस्पेंसरी आने की आवश्यकता ही नही समझते है। इस पर अविलम्ब कार्यवाही हेतु अनुरोध हैं।

EU-26/2014 :– ट्रैक मशीन मे कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के क्रम मे रेस्टवानो की दुर्दशा एवम् कर्मी के सम्बन्ध मे।

वर्तमान मे जबलपुर मण्डल में कुल मशीनों की संख्या 17 है तथा उनके कर्मचारियों के रहने के लिये रेस्टवानों की संख्या मात्र 09 है जबकि 08 मशीनों में कार्यरत कर्मचारी बिना रेस्टवान के ही कार्य कर रहे है । इन 09 रेस्टवानों में से 06 रेस्टवान पीओएच के लिये ओवर

www.wcreu.com

ड्यू है तथा उनके बिल्ट आन डेट 30–35 वर्ष पूर्व की है अतः जब भी ये कोच वर्कशॉप जाऐगे वहां पर ये स्क्रेप कर दिये जायेगे । यही समस्या अभी और भी खराब होने वाली है क्योंकि 03 नई मशीने जबलपुर मंडल में 04 माह के अंदर आने वाली हैं ।

अतः 08 मशीनों के लिये रेस्टवानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये तथा नई आने वाली मशीनों के लिए रेस्टवानों उपलब्ध कराये जाये ।

EU-27/2014

रेलवे बोर्ड के नये आदेशानुसार पी.डब्लयू.एस.को जे.ई.(पी.वे.) में मर्ज कर दिया गया है । पी. डब्लयू.एस.की शैक्षणिक योग्यता आर.आर.बी.के अनुसार बी.एस.सी.है एवं जे.ई.(पीवे) की डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर । अगर किसी पी.डब्ल्यू.एस.को ऑन रिक्वेस्ट स्थानांतरण करवाना है तो रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार आर.आर.बी.की शैक्षणिक योग्यता जे.ई.(पीवे) की होना चाहिये ऐसा मंडल कार्मिक शाखा का कहना है । इस कारण से किसी भी पी.डब्लयू.एस.का ऑन रिक्वेस्ट स्थानांतरण नही हो पा रहा है क्योकि पी.डब्लयू.एस.की आर.आर.बी.शैक्षणिक योग्यता बी.एस.सी.है । ऐसे में नये दिशा निर्देश ऑन रिक्वेस्ट स्थानांतरण के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कराने हेतु कार्यवाही की जाये ।

EU-28/2014

मंडल खजांची कोटा के स्थानांतरण के सम्बंध में ।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के मंडल खजांची श्री राजेन्द्र सिंह का स्थानांतरण कोटा से जबलपुर किया गया है । कर्मचारी लगभग तीन वर्ष पूर्व ही कोटा मे मंडल खजांची के पद पर पदस्थ हुआ है तथा कर्मचारी के विरूद्ध कोई सर्तकता जॉच/प्रकरण इत्यादि भी लम्बित नही है इसके अतिरिक्त रेलवे बोर्ड के पत्रांक RBE No-244/89 द्वारा संवेदनशील पदों की जारी सूची मे मंडल खजांची पद का कोई उल्लेख नही है । इन बिन्दुओं के आधार पर कर्मचारी का स्थानांतरण का औचित्य परिलक्षित नही हो रहा है ।

अतः मंडल खजांची कोटा श्री राजेन्द्र सिंह का स्थानांतरण निरस्त करने हेतु कृपया अनुरोध है ।

WCREU /JBP/HQ/GS date 04.02.14

EU-29/2014

निजी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के राशि के पुर्नभरण हेतु ।

श्री शिवराज मीणा आरक्षण क्लर्क कोटा मंडल की पत्नी के दिनांक 24.05.2013. को प्रात 04 बजे अचानक सीरियस हो जाने व कर्मचारी के घर पर ना होने के कारण पडोसियों द्वारा अविलम्ब कोटा हार्ट अस्पताल ले जाया गया जहा डॉक्टरों ने मरीज का हृदय के ऑपरेशन करने की सलाह दी । रेलवे चिकित्सालय में उस समय गायनाकॉलोजिस्ट नही होने तथा अत्याधिक रक्त स्त्राव होने के कारण ऑपरेशन कर दिया गया इसकी सूचना कर्मचारी द्वारा तत्काल ही मंडल चिकित्सालय कोटा को दे दी गई थी तथा कोटा अस्पताल द्वारा इमरजेंसी का प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। जिन्हे सभी दस्तावेज के साथ मंडल कार्यालय में जमा करा दिया गया था फिर भी कर्मचारी का दावा अमान्य करार कर दिया गया। उस समय मरीज का जीवन बचाना नियमों से कही अधिक महत्वपूर्ण व आवश्यक था ।

अतः प्रकरण पर पुनः सहानुभूति पूर्वक विचार कर चिकित्सा व्यय भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था करे ।

www.wcreu.com

EU-30/2014

स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने बाबत– प्रकरण श्री ओ.पी.सिंह जू.ई.–।। कोटा अधीन एसएसई/टीएल/आरएसी/कोटा

उपरोक्त विषय में लेख है कि श्री ओ.पी.सिंह, जू.ई.–।। कोटा अधीन एसएसई/टीएल/आरएसी ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के संदर्भ में निवेदन किया था कि प्रार्थी चार वर्ष लाखेरी में सेवा कर दो वर्ष पहले कोटा स्थानान्तरण पर आये है। कर्मचारी ने निवेदन किया है कि कर्मचारी से जूनियर कोटा टीएल आरएसी में ही श्री शैलेश कुमार, जे.ई टीएलआरएसी, मनीष उपाध्याय जे.ई–।।, प्रेम नारायण जे.ई–।। टीएलआरएसी, बने सिंह जे.ई –।। डब्ल्यूआरएस कॉलोनी इत्यादि में कार्यरत है।

यूनियन का कथन है कि रेलवे के नियमानुसार यदि किसी कर्मचारी को प्रशासनिक हित में स्थानान्तरण किया जाना है तो सबसे जूनियर मोस्ट कर्मचारी को ही स्थानान्तरण किया जाता है परन्तु इस प्रकरण में सीनियर कर्मचारी जो कि दो वर्ष पहले ही कोटा आया है का स्थानान्तरण किया गया है यह नियम के विरूद्ध है अतःआपसे निवेदन है कि श्री ओ.पी.सिंह के स्थानान्तरण को पारिवारिक परिस्थिति एवं नियमानुसार ही जूनियन कर्मचारी का ही स्थानान्तरण किया जायें।

WCREU/KTT/GS/TL/RAC/2014/0009 08-01-2014

****************XXXXXXX******************

www.wcreu.com